भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 153

04 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात स्क्रैपिंग नीति

153. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पर विचार कर रही है और क्या सरकार ने संसाधन दक्षता और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पुनर्चक्रण क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से पुनर्चक्रण ढांचा जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस्पात स्क्रैपिंग नीति को संशोधित/परिवर्तित करने की योजना बना रही है;

(ग) वर्ष 2019 में इस नीति के जारी होने के बाद से इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्तमान में कितने स्क्रैपिंग केन्द्र कार्यरत हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) ने प्लास्टिक, टायर, प्रयुक्त तेल, बैटरी, ई-कचरा आदि जैसी कुछ सामग्रियों के लिए ईपीआर नीति अधिसूचित की है।

(ख): सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को 7 नवम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस नीति में विभिन्न स्रोतों से सृजित फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना को सुविधा प्रदान करना और बढ़ावा देने की रूपरेखा प्रदान की गई है। इस नीतिगत रूपरेखा में संगठित, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीकों से संग्रहण, विखण्डन एवं श्रेडिंग गतिविधियों हेतु मानक दिशानिर्देशों का प्रावधान किया गया है, ताकि प्रदूषण पर अंकुश लग सके और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोका जा सके।

(घ): स्क्रैप केन्द्रों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

*****